

# कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

—:: कार्यालय ज्ञाप ::—

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की " माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना " नवीन सहारनपुर, फेज-1 के अन्तर्गत ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवंटियों को दिनांक 14.07.2026 को आवंटन पत्र निर्गत किये गये थे। आवंटन पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार आवंटियों को आवंटन धनराशि तथा नियमानुसार देय एक मुश्त अवशेष धनराशि को जमा करने हेतु दिनांक 13.10.2026 तक अर्थात् निर्धारित 60 दिवस की अवधि प्रदान की गयी थी, किन्तु चयनित आवंटियों द्वारा निर्धारित आवंटन धनराशि/एक मुश्त अवशेष धनराशि वर्तमान तक जमा नहीं कराये जाने के कारण कतिपय बैंकिंग संस्थानों द्वारा भी कतिपय ऋण आवेदन उनकी शाखाओं में विचाराधीन होने के दृष्टिगत भुगतान हेतु नियत तिथि में विस्तार किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा कुछ आवंटियों द्वारा भी समयावृद्धि का अनुरोध किया गया है।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण के वित्तीय हित व आवंटियों को भुगतान युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनहित में निम्नलिखित व्यवस्थायें की जाती है :-

## 1- शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप एक मुश्त भुगतान पर छूट :-

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 1512/आठ-1-25/ ई01820505 दिनांक 25.12.2025 द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कारस्टिंग के सम्बन्ध में आदर्श कारस्टिंग गाईड लाईन्स (मूलभूत सिद्धान्त) 2025 निर्गत की गयी है, जिसके बिन्दु संख्या-07 के अनुसार आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि को 60 दिवस में जमा करने पर 5 प्रतिशत व 90 दिवस में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।

वर्तमान योजना के आवंटन पत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अवशेष एक मुश्त धनराशि को 60 दिवस में जमा कराये जाने पर 5 प्रतिशत की छूट (75 प्रतिशत अवशेष धनराशि पर) प्रदान किये जाने का उल्लेख है।

अतः शासनादेश एवं आवंटन पत्र की लागू शर्तों के अधीन निर्धारित 60 दिवस की अवधि के उपरान्त अतिरिक्त 30 दिवस की समयावधि अर्थात् कुल- 90 दिवस के में अवशेष एक मुश्त धनराशि को जमा करने वाले पात्र आवंटियों को 4 प्रतिशत की छूट (75 प्रतिशत अवशेष धनराशि पर) प्रदान की जा सकती है।

## 2- अतिरिक्त 30 दिवस में केवल आवंटन धनराशि जमा करने की स्थिति :-

जिन आवंटियों द्वारा अतिरिक्त 30 दिवस की अवधि में केवल आवंटन धनराशि जमा की जा रही है तथा एक मुश्त अवशेष धनराशि जमा नहीं की गयी है, ऐसे प्रकरणों में शासनादेश के बिन्दु संख्या-8 व आवंटन पत्र की शर्त संख्या- 03 के अनुसार लागू ब्याज व दण्डब्याज की वसूली की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश एवं आवंटन पत्र में निर्धारित दरो के अनुसार 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ दण्डब्याज 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज (30 दिवस हेतु आरोपित) का अतिरिक्त भुगतान करते हुए आवंटन धनराशि स्वीकार की जा सकती है।



3- अतिरिक्त समयावधि में भी भुगतान न करने की स्थिति :-

उक्त के अतिरिक्त यदि अतिरिक्त 30 दिवस की अवधि में भी आवंटी द्वारा आवंटन धनराशि/ अवशेष एक मुश्त धनराशि जमा नहीं किये जाने की दशा में अथवा आवंटित भूखण्ड का समर्पण किया जाता है, तो आवंटन-पत्र की शर्त संख्या 06 तथा अन्य लागू शर्तों के अनुसार जमा पंजीकरण धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस की जायेगी तथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की " माँ शाकम्भरी देवी आवासीय योजना " नवीन सहारनपुर, फेज-1 के अन्तर्गत ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवंटियों को निर्गत आवंटन पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार आवंटन धनराशि तथा नियमानुसार देय एक मुश्त धनराशि को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 1512/आठ-1-25/ ई01820505 दिनांक 25.12.2025 में दी गयी व्यवस्थाओं/निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जायें।



सचिव,  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

पत्रांक : 1601 / स0वि0प्रा0 / सम्प0अनु0 / 2026-27

दिनांक 12 10.2026

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी।
3. अधिशासी अभियन्ता।
4. सहायक सम्पत्ति अधिकारी को अनुपालनार्थ।
5. सम्पत्ति लिपिक को अनुपालनार्थ।
6. सम्बन्धित पत्रावली।



सचिव,  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।